भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1676

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: मणिपुर में पीएम-किसान

1676. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजमः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मणिपुर राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मणिपुर में लाभार्थियों को पीएम-किसान के अंतर्गत वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका शुभारंभ फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भूमि वाले किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में 6,000/- रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमि का होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जनों के अधीन हैं।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के प्राप्त हो। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

पीएम-किसान पोर्टल पर पंजीकरण के बाद राज्य द्वारा पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन किया जाता है। प्रत्येक किस्त जारी करते समय, पुनः राज्यों को लाभार्थियों की सूची का

सत्यापन करने और यह सुनिश्चित करने का अवसर दिया जाता है कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। राज्य द्वारा यह प्रक्रिया पूरी होने और हस्ताक्षरित आरएफटी (निधि अंतरण के लिए अनुरोध) प्रस्तुत करने के बाद ही लाभार्थियों को धनराशि अंतरित की जाती है। मणिपुर राज्य द्वारा आरंभ से अब तक हस्ताक्षरित आरएफटी के अनुसार लाभान्वित किसानों का किस्तवार विवरण और उन्हें जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

क्र. **सं.**	**किस्त अवधि**	**लाभार्थियों की संख्या**	**वितरित राशि (₹ करोड़ में)**
पहली	वित्त वर्ष 2018-2019 (दिसंबर-मार्च)	31,354	6.27
दूसरी	वित्त वर्ष 2019-2020 (अप्रैल-जुलाई)	29,245	5.85
तीसरी	वित्त वर्ष 2019-2020 (अगस्त-नवंबर)	90,305	24.35
चौथी	वित्त वर्ष 2019-2020 (दिसंबर-मार्च)	2,71,293	56.51
पांचवीं	वित्त वर्ष 2020-2021 (अप्रैल-जुलाई)	4,54,134	95.16
छठी	वित्त वर्ष 2020-2021 (अगस्त-नवंबर)	3,50,676	70.78
सातवीं	वित्त वर्ष 2020-2021 (दिसंबर-मार्च)	3,56,367	72.30
आठवीं	वित्त वर्ष 2021-2022 (अप्रैल-जुलाई)	2,87,292	58.81
नौवीं	वित्त वर्ष 2021-2022 (अगस्त-नवंबर)	2,77,913	56.84
दसवीं	वित्त वर्ष 2021-2022 (दिसंबर-मार्च)	2,80,147	61.52
ग्यारहवीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (अप्रैल-जुलाई)	3,64,833	105.95
बारहवीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (अगस्त-नवंबर)	3,66,207	86.95
तेरहवीं	वित्त वर्ष 2022-2023 (दिसंबर-मार्च)	-	-
चौदहवीं	वित्त वर्ष 2023-2024 (अप्रैल-जुलाई)	3,711	1.72
पन्द्रहवीं	वित्त वर्ष 2023-2024 (अगस्त-नवंबर)	5,871	2.53
सोलहवीं	वित्त वर्ष 2023-2024 (दिसंबर-मार्च)	1,04,367	70.44
सत्रहवीं	वित्त वर्ष 2024-2025 (अप्रैल-जुलाई)	79,198	28.01
अठारहवीं	वित्त वर्ष 2024-2025 (अगस्त-नवंबर)	85,936	42.79
उन्नीसवीं	वित्त वर्ष 2024-2025 (दिसंबर-मार्च)	1,80,263	146.88
बीसवीं	वित्त वर्ष 2025-2026 (अप्रैल-जुलाई)	74,094	17.87
इक्कीसवीं	वित्त वर्ष 2025-2026 (अगस्त-नवंबर)	955	0.21
	कुल		**1,011.74**

*****